प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 369/2022

1– राजेन्द्र प्रसाद पिता श्री तिहारूराम, आयु लगभग 50 वर्ष, जाति– झारिया निवासी ग्राम–कोहपानी, थाना–तपकरा, जिला–जशपुर (छ.ग.)

2– सचिन्द्र साहू पिता श्री तिहारूराम आयु लगभग, 25 वर्ष, जाति– झारिया निवासी– ग्राम तिलडेगा थाना पत्थलगांव जिला– जशपुर (छ.ग.)

3– प्लासिडियुस टोप्पो पिता श्री राफेल टोप्पो, आयु लगभग 37 वर्ष, जाति– झारिया निवासी ग्राम तिलडेगा थाना पत्थलगांव जिला– जशपुर (छ.ग.)

––– आवेदकगण

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– जिला मजिस्ट्रेट जशपुर, जिलाःजशपुर (छ.ग.)

2– थाना प्रभारी पुलिस थाना पत्थलगांव जिलाः जशपुर (छ.ग.)

–––उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद–शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

आवेदकगण की ओर से : श्री सुनील साहू, अधिवक्ता की ओर से श्री राजेन्द्र पटेल, अधिवक्ता

उत्तरवादी–राज्य की ओर से : श्रीमती प्रज्ञा श्रीवास्तव, उप–शासकीय अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविन्द कुमार वर्मा

बोर्ड पर आदेश

18/03/2025

1. यह पुनरीक्षण विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.) द्वारा दाण्डिक अपील क्रमांक 03/2020 में दिनांक 19.01.2022 को पारित आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.) द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 357/2012 में पारित दिनांक 17.10.2018 के आदेश से प्रोद्भूत है, जिसके अन्तर्गत आवेदकों पर अपराध क्रमांक 67/2012 के संबंध में पुलिस थाना पत्थलगांव, जिला–जशपुर (छ.ग.) में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471/34 के अधीन पंजीबद्ध दण्डनीय अपराधों के लिए

विचारण चलाया गया था, और विचारण के उपरांत उन्हें उचित प्रक्रिया के बाद आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था। तत्पश्चात, आवेदकों के दोषमुक्ति आदेश को उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन अपील प्रस्तुत कर चुनौती दी गई तथा विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपील को स्वीकार किया एवं आक्षेपित आदेश पारित कर प्रकरण को पुनर्विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया।

2. वर्तमान प्रकरण के तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता आर.पी. कृपाल तहसीलदार ने दिनांक 10.04.2012 को आवेदकों के विरुद्ध रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया था कि खसरा क्रमांक 564/3, 564/4, 564/5 क्षेत्रफल 0.728, 0.525 एवं 0.761 हेक्टेयर भूमि भूदान योजना के अंतर्गत शासन द्वारा राजेंद्र प्रसाद, सचिंद्र एवं खातीबाई को दी गई थी, तथा शासन की स्वीकृति के बिना पटवारी प्लासिडियस टोप्पो की मिलीभगत से उक्त भूमि को विक्रय कर दिया गया, अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई है तथा अन्वेषण के उपरांत अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोग–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात आवेदकों के विरुद्ध आरोप विरचित किए, उन्होंने इसे अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा, अतः विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत कथन/साक्ष्य की विवेचना करने के उपरांत 4 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया तथा दिनांक 17.10.2018 के निर्णय के अधीन आवेदकों को उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। तत्पश्चात, उत्तरवादी क्रमांक 1 राज्य ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन दोषमुक्ति के विरुद्ध विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील प्रस्तुत किया। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपील स्वीकार किया एवं आक्षेपित आदेश पारित कर प्रकरण को पुनर्विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया तथा साक्षियों का पुनः परीक्षण कराने का आदेश दिया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि आवेदक ने लगभग 11 वर्षों तक विचारण के साथ–साथ अपील का भी सामना किया है और अकस्मात विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया एवं साक्षियों आर.के.कृपाल, जीवेंद्र लकड़ा का परीक्षण कराने का निर्देश दिया व दस्तावेज को साबित किया तथा 6 माह की अवधि के भीतर नया निर्णय पारित किया। अभियोजन द्वारा कमी को पूर्ण करने हेतु प्रतिप्रेषण अनुमेय नहीं है और यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ अभियुक्त को प्राप्त होता है परंतु यहां विद्वान अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया तथा साक्षियों का पुनः परीक्षण कराने का निर्देश दिया जो विधि के अधीन अनुमेय नहीं है।

5. अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **नसीब सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य व अन्य** 2022 (2) एससीसी 89 में प्रतिवेदित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **अजय कुमार घोषाल विरुद्ध बिहार राज्य व अन्य** 2017 (12) एससीसी 699 में प्रतिवेदित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी अवलंब लिया।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि दिनांक 17.10.2018 को विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का निर्णय स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह अभिलेख पर प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्ष्यों एवं दस्तावेजों की विवेचना किए बिना पारित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन को न्याय न मिलने के दृष्टिगत विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2018 को पारित दोषमुक्ति का निर्णय अपास्त किया गया है तथा विचारण न्यायालय को इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया गया है कि विचारण न्यायालय अभियोजन आवेदक/साक्षियों एवं अन्वेषण अधिकारी को उनके द्वारा प्रस्तुत उनके साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर साक्ष्य का अवसर प्रदान करने के पश्चात तथा उत्तरवादी/अभियुक्त को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 357/12 को पुनर्विचारण हेतु अपराध पंजी में पुनःपंजीबद्ध करे तथा गुण–दोष के आधार पर छः माह के भीतर पुनः निर्णय पारित करे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा न्यायिक क्षमता में पारित आक्षेपित आदेश तथा उसमें उल्लिखित निष्कर्षों एवं तर्कों के आधार पर सुविचारित आदेश है, प्रकरण में गंभीर धाराएं अधिरोपित की गई हैं, जो दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है तथा विचारण न्यायालय ने दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में चिन्हित नहीं करवाया है, न ही दस्तावेजी साक्षियों के साक्ष्य मांगे हैं। विचारण न्यायालय ने साक्षियों के साक्ष्य लिए बिना दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया है, जो विधि विरुद्ध होने के कारण मान्य नहीं है। प्रकरण से संलग्न दस्तावेजों का विचारण न्यायालय द्वारा परिशीलन किया जाएगा, ऐसा इसलिए माना गया है, क्योंकि प्रकरण के निपटान हेतु आवेदक आर.के. कृपाल (तत्कालीन तहसीलदार) एवं अन्वेषण अधिकारी उपनिरीक्षक जीवेन्द्र लकड़ा के कथन दर्ज किए बिना दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया गया है, जो संधारणीय नहीं है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश उपयुक्त, वैध तथा पूर्णतः विधि के अनुसार तथा अधिकारिता के अंतर्गत है तथा इसमें कोई त्रुटि या अवैधता नहीं है।

8. मैंने संबंधित पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्तागण को सुना हैं तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख व आदेशों का परिशीलन किया है।

9. प्रकरण का तथ्यात्मक सार यह है कि शिकायतकर्ता आर.पी. कृपाल तहसीलदार ने दिनांक 10.04.2012 को आवेदकों के विरुद्ध रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया था कि खसरा क्रमांक 564/3, 564/4, 564/5 क्षेत्रफल 0.728, 0.525 एवं 0.761 हेक्टेयर भूमि शासन द्वारा भूदान योजना के अधीन राजेंद्र प्रसाद, सचिंद्र एवं खातीबाई को दी गई थी, तथा शासन की स्वीकृति के बिना पटवारी प्लासिडियस टोप्पो की मिलीभगत से उक्त भूमि को विक्रय कर दिया गया, अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई है तथा अन्वेषण के उपरांत अभियोग– पत्र प्रस्तुत किया गया है। विद्वान न्यायालय ने अभियोग– पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात आवेदकों के विरुद्ध आरोप विरचित किए, उन्होंने इसे अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा, अतः विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत कथन/साक्ष्य की विवेचना करने के उपरांत 4 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया तथा दिनांक 17.10.2018 के निर्णय के अधीन आवेदकों को उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। तत्पश्चात, उत्तरवादी क्रमांक 2 राज्य ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन दोषमुक्ति के विरुद्ध विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील प्रस्तुत किया। अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया तथा साक्षियों आर.के. कृपाल, जिवेंद्र लकड़ा का परीक्षण कराने का निर्देश दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **नसीब सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य व एक अन्य** 2022 (2) एससीसी 89 में प्रतिवेदित प्रकरण के पैरा 33 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

> "33. इस न्यायालय के पुनर्विचारण संबंधी निर्णयों से जो सिद्धांत उभर कर आते हैं, उन्हें निम्नानुसार विनिश्चित किए जा सकते है:
>
> (i) अपीलीय न्यायालय न्याय की विफलता को रोकने के लिए केवल 'असाधारण' परिस्थितियों में ही पुनर्विचारण का निर्देश दे सकता है;
>
> (ii) अन्वेषण में महज त्रुटि ही पुनर्विचारण के लिए निर्देश देने के लिए पर्याप्त नहीं है। चूक इतनी गंभीर होने पर ही पुनर्विचारण का निर्देश दिया जा सकता है कि पक्षकारों के अधिकारों को नुकसान पहुंचे;
>
> (iii) यह निर्धारित करना कि क्या 'तुच्छ' अन्वेषण /विचारण ने पक्षकार को नुकसान पहुंचाया है, प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों के आधार पर साक्ष्यों का गहन अध्ययन करना चाहिए;
>
> (iv) यदि अभियुक्त/अभियोजन यह तर्क देता है कि न्याय की विफलता हुई है, तो पुनर्विचारण के लिए पर्याप्त नहीं है। अपीलीय न्यायालय का यह दायित्व है कि वह साक्ष्य और अन्वेषण प्रक्रिया के संदर्भ में न्याय की विफलता की प्रकृति पर एक तर्कसंगत आदेश पारित करने हेतु पुनर्विचारण का निर्देश दे;

(v) यदि किसी प्रकरण को पुनर्विचारण के लिए निर्देशित किया जाता है, तो पिछले विचारण के साक्ष्य व अभिलेख पूर्णतया मिटा दिए जाते हैं; अथवा

(vi) कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं, जो विस्तृत नहीं हैं, जब न्यायालय न्याय की विफलता के आधार पर पुनर्विचारण का आदेश दे सकता है:

क) विचारण न्यायालय ने अधिकारिता के अभाव में विचारण आगे बढ़ाया है;

ख) कार्यवाही की प्रकृति की मिथ्या धारणा के आधार पर अवैधता या अनियमितता से विचारण प्रभावित हुआ है; अथवा

ग) अभियोजन को आरोप की प्रकृति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने से अक्षम या रोका गया है, जिसके फलस्वरूप विचारण एक स्वांग, ढ़ोंग या दिखावा बन गई है।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अजय कुमार घोषाल विरुद्ध बिहार राज्य व एक अन्य** 2017 (12) एससीसी 699 में प्रतिवेदित प्रकरण में, पैरा 12 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

'डी नोवो' विचारण का अर्थ 'नया विचारण' है अपीलीय न्यायालय द्वारा असाधारण प्रकरणों में आदेशित जब मूल विचारण विधि द्वारा अवधारित तरीके से निर्धारण करने में विफल रहा हो तब न्यायालय द्वारा विचारण नए सिरे से आयोजित किया जाता है मानो पहले कोई विचारण नहीं हुआ था। निस्संदेह, अपीलीय न्यायालय के पास विचारण न्यायालय को 'डी नोवो' विचारण आयोजित करने का निर्देश देने की शक्ति है। परंतु प्रश्न यह है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग कब किया जाना चाहिए। जैसा कि <u>पंडित उखा कोल्हे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य</u> (1964) एससीआर 926 में व्यक्त किया गया है, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

'दाण्डिक प्रकरण के पुनर्विचारण हेतु आदेश असाधारण प्रकरणों में दिया जाता है, और तब तक नहीं जब तक अपीलीय न्यायालय संतुष्ट न हो जाए कि कार्यवाही का विचारण करने वाले न्यायालय के पास इसे विचारण करने का कोई अधिकारिता नहीं था या यह कि विचारण गंभीर अवैधताओं या अनियमितताओं या कार्यवाही की प्रकृति की मिथ्या धारणा के कारण निष्फल हो गया था और इस कारण से वास्तव में कोई वास्तविक विचारण नहीं हुआ था या अभियोजन या अभियुक्त जिन कारणों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, उसे आरोप के पक्ष में साक्ष्य की अगुवाई या प्रस्तुत करने करने से रोका गया था, और न्याय के हित में अपीलीय न्यायालय प्रकरण की परिस्थितियों को विचार में रखते हुए यह उचित समझता है कि अभियुक्त को पुनः उसके विचारण में शामिल किया जाना चाहिए।

पुनर्विचारण का आदेश अभिलेख से पूर्ण कार्यवाही को मिटा देता है, और अभियुक्त व्यक्ति को दूसरे विचारण में शामिल होने के लिए विवश करता है जो अभियोजक को पहले विचारण में व्यक्त कमियों को सुधारने का अवसर देता है, तथा सामान्यतः इसका समर्थन नहीं किया जाएगा जब यह केवल अभियोजक को ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया जाता है जो वह प्रस्तुत कर सकता था परंतु प्रकरण की प्रकृति की अपर्याप्त समझ या अन्य कारणों से प्रस्तुत नहीं कर पाया।”

12. दोषसिद्धि के निर्णय से दाण्डिक अपील की सुनवाई करने वाली अपीलीय न्यायालय को धारा 386 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध पुनर्विचारण का आदेश देने की शक्ति है। धारा 386(ख) की साधारण भाषा से यह स्पष्ट है। यद्यपि ऐसी शक्ति मौजूद है, परंतु इसका नियमित तरीके से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। 'डी नोवो विचारण' या पुनर्विचारण दूसरा विचारण नहीं है; यह उसी विचारण और उसी अभियोजन की निरंतरता है। पुनर्विचारण के लिए मार्गदर्शक कारक हमेशा न्याय की मांग होनी चाहिए। जाहिर है, धारा 386(ख) के अधीन पुनर्विचारण की शक्ति का प्रयोग प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, जिसके लिए कोई अनम्य सूत्र तैयार नहीं किया जा सकता है, किंतु अपीलीय न्यायालय को इस तथ्य को ध्यानपूर्वक विचार में रखना चाहिए कि निष्पक्ष विचारण व उचित प्रक्रिया हेतु अभियुक्त के अधिकार की रक्षा करते समय, विधि का संरक्षण चाहने वाले व्यक्ति विधिक व्यवस्था में आशा न खोएं और समाज के हितों की पूर्णतः अनदेखी न हो।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय प्रकरण को केवल अत्यंत असाधारण प्रकरण में ही प्रतिप्रेषित कर सकता था, जहां यह पाया जाता है कि प्रक्रिया में कोई दोष है या कानून की स्पष्ट त्रुटि है जिसके परिणामस्वरूप प्रकरण के निर्णय के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा न्याय में घोर विफलता हुई है।

14. तथापि, इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से साक्षियों आर.के. कृपाल और जीवेन्द्र लाल लकड़ा का साक्ष्य महत्वपूर्ण है तथा अभियोजन विचारण न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी उपरोक्त साक्षियों को प्रस्तुत करने में असफल रहा। अभियोजन विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करके भी प्रकरण को साबित करने में असफल रहा। विचारण न्यायालय उक्त साक्षियों का परीक्षण न करने की कथित कमी के बावजूद भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन का प्रकरण साबित नहीं हुआ है और अभियुक्त/आवेदकगण उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किए गए हैं।

15. उपरोक्त उल्लिखित दोनों निर्णयों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इन दो निर्णयों को पारित करते समय संदर्भित निर्णयों से यह स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय के पास अभियोजन तथा विचारण न्यायालय की ओर से कमी को पूरा करने के लिए प्रकरण को पुनर्विचारण के लिए प्रतिप्रेषित करने का अधिकार नहीं था और न ही है, विशेषतः तब जब अपीलीय न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन निर्णय आवेदकों/अभियुक्तों को दोषमुक्त करने के विरुद्ध था। दूसरे, दाण्डिक प्रकरण दिनांक 10.04.2012 को प्रस्तुत किया गया था और 6 वर्ष से अधिक समय के उपरांत, दिनांक 17.10.2018 को दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया गया था, तब तक अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षियों का परीक्षण नहीं किया गया है।

16. समस्त तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात् यह न्यायालय दाण्डिक अपील क्रमांक 03/2020 में दिनांक 19.01.2022 को पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त करने हेतु उपयुक्त पाता है तथा विचारण न्यायालय के दिनांक 17.10.2018 के आदेश को बहाल किया जाता है।

17. तदनुसार, वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण **स्वीकार** की जाती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. इस आदेश की एक प्रतिलिपि तथा मूल अभिलेख आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ संबंधित न्यायालय को अविलंब प्रेषित किए जाएं।

सही/–
(अरविन्द कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**